

व्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

उपनाम : बाबूलाल १/९ (अक/०)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

तारीख
हुक्म

दावा. 10/10/2021
हुक्म या कोर्ट के निर्णय के इनिशियलन जज

5/1/2021

पत्रावली पेश हुई। नकोरु का दावा रुपी
वादी द्वारा वाद विद्वा किसे जाने हेतु
पार्वना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी
द्वारा वाद विद्वा किसे करने का पत्र प्रार्थना
पत्र व पत्रावली का अवरुधक न किया
गया। वादी मूल प्रकरण में भागे नहीं
चलाका कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
वाद विद्वा करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना
पत्र रोककर किया जाता है। वादी मूल
द्वारा प्रकरण में भागे कोई कार्यवाही
नहीं चाहते व वाद विद्वा करने से
वादी का वाद स्वारेज किया जाता है।
पत्रावली के मूल प्रमाणों को नम्बर
से कम होकर इफतर शारेपल है।

वादी का
दिल्ली उच्च
कोर्ट से
5-1-2021

सहायक कलक्टर
दौसा

